Annexure - "X"

# राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत

## अनुदान-सहायता योजना हेतु संशोधित दिशा निर्देश

1. **योजना का नाम**

पुस्तक प्रोन्नयन गतिविधियों से संबद्ध संगोष्ठियों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं/वार्षिक सभाओं, पुस्तक मेलों, साहित्यिक महोत्सवों आदि को आयोजित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की सहायता योजना।

2. **कार्य क्षेत्र**

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक या कई उद्देश्यों हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी :-

i. भारत में पुस्तक प्रोन्नयन विषयों पर केंद्रित लेखकों/प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं से संबधित सम्मेलनों का आयोजन करना।

ii. पुस्तक मेलों/साहित्य महोत्सवों का आयोजन करना।

iii. प्रकाशन और पुस्तक प्रोन्नयन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विषयों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

iv. लेखकों/प्रकाशकों/मुद्रकों/पुस्तक विक्रेताओं की वार्षिक सभाओं/सम्मेलनों का आयोजन करना।

v. पुस्तक उद्योग से संबद्ध शोध/सर्वेक्षण करना।

vi. पुस्तक उद्योग के विकास/पुस्तकों के प्रोन्नयन/पठन संस्कृति आदि के लिए सहायक किसी भी अन्य गतिविधि का आयोजन करना।

3. **पात्रता**

i. गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन

क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत समिति, या

ख) उस समय लागू किसी भी विधि के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास, या

ग) कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी, या

घ) विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान।

ii. **भारत सरकार के नीति आयोग के 'दर्पण पोर्टल' अर्थात् www.ngodarpan.gov.in पर आवश्यक रूप से पंजीकृत हों और उसकी अपनी वैध यूनिक आईडी अवश्य हो।**

iii. संगठन लेखन, प्रकाशन, पुस्तकों के विक्रय और पुस्तक प्रोन्नयन गतिविधियों/शैक्षणिक जागरूकता गतिविधियों/मानव संसाधन विकास गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।

iv. संगठन न्यूनतम तीन वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए।

v. इसके अतिरिक्त केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त साहित्यिक निकाय, सरकार समर्थित अकादमियां/शैक्षणिक संस्थान भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

4. <u>अनुदान/सहायता की शर्तें</u>

i. ऑनलाइन आवेदन-पत्र स्कैन किए हुए संलग्नकों सहित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वेबसाइट पर को अपलोड करके प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति के पश्चात संलग्नकों के सहित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संलग्नकों सहित निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत को प्रेषित किया जाएगा।

ii. राशि का भुगतान किए जाने से पूर्व संगठन को अनुदान के संबंध में एक बॉंड निष्पादित करना होगा। अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन को केंद्र/राज्य सरकार के किसी भी अन्य प्राधिकरण से प्राप्त हुई अन्य आर्थिक सहायता के स्रोतों के संबंध में वचन-पत्र देना होगा।

iii. संगठन को नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरीकृत यह वचन-पत्र देना होगा कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिस उद्देश्य के लिए उसे स्वीकृत किया गया है। ऐसा करने में विफल होने पर संगठन न्यास के अनुदान की पूरी राशि दंडात्मक ब्याज सहित, जैसे मानदंड न्यास तय करे, वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

iv. संगठन अपने स्वयं के स्रोतों से वास्तविक व्यय के न्यूनतम 25% के समान राशि का योगदान देगा, जिसमें विफल होने पर समानुपातिक राशि न्यास को वापस करनी होगी।

v. प्रति गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन के प्रति वर्ष अधिकतम केवल दो प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा।

vi. वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के दो अधिकारियों अथवा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक/नामित प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को तीन निमंत्रण पत्र प्रेषित करेंगे ताकि न्यास उनकी गतिविधियों की निगरानी कर सके।

vii. यह योजना वरीयतः आदिवासी, पिछड़े व सीमावर्ती क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। गतिविधियों के संचालन के लिए राजकीय विद्यालयों/राजकीय शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी। वे अपने आवेदन पत्र के साथ राजकीय विद्यालय/शैक्षिक संस्थान की सहमति प्रस्तुत करेंगे

viii. अनुदान के लिए पृथक् खाते रखे जाएंगे और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

ix. अनुदान की स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर अथवा **कार्यक्रम पूरा हो जाने की तिथि से 90 दिन के अंदर, इनमें से जो पहले हो उस तक,** किसी सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित खातों के लेखा परीक्षा विवरण के साथ यह प्रमाणित करने वाला उपयोगिता प्रमाणपत्र, कि अनुदान राशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया गया है, प्रस्तुत करना होगा।

x. गतिविधि/कार्यक्रम की टंकित/मुद्रित रिपोर्ट की प्रतिलिपि, फोटो सहित मूल्यांकन रिपोर्ट, कार्यक्रम की संगठन, प्रतिभागियों और पुस्तक उद्योग के लिए उपयोगिता का उल्लेख करते हुए गतिविधि के आयोजन की तिथि से एक माह के अंदर न्यास को भेजी जाएगी

xi. इस योजना के अंतर्गत पिछली देनदारियों अथवा ऋणों हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।

xii. **न्यास का किसी भी अनुदान के आवेदन पत्र को किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।**

xiii. **संगठन में भारत के समस्त नागरिकों का जाति, पंथ, वंश, धर्म, भाषा, जातीयता, रंग एवं लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के स्वागत हो।**

xiv. भारत से बाहर के विदेशी नागरिकों को निमंत्रण राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही दिया जाएगा।

xv. **अनुदान, संगठन की 03 वर्ष की लेखापरीक्षित रिपोर्ट सहित बिंदु संख्या 9 (ii) के अनुसार अपेक्षित समस्त अभिलेखों की प्रस्तुति के साथ सशर्त है।**

5. <u>सहायता की सीमा</u>

i. वित्तीय सहायता के समस्त अनुरोधों पर श्रेष्ठता के आधार पर विचार किया जाएगा और अनुदान केवल अनुमोदित व्यय की मदों के लिए ही स्वीकृत किया जाएगा। अनुदान कुल अनुमोदित व्यय के 75% से अधिक स्वीकृत नहीं होगा।

**वित्तीय सहायता की सीमा की जांच एक अनुमोदित अनुदान सहायता समिति द्वारा की जाएगी और सहायता अनुदान समिति की संस्तुतियों के आधार पर अनुदान के लिए निर्णय निम्नानुसार लिया जा सकता है :**

- **₹ 10 लाख तक की अनुदान राशि का निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष को है।**
- **₹ 10 लाख से अधिक की अनुदान राशि के मामलों को निर्णय लेने हेतु मंत्रालय भेजा जाएगा।**

6. **आवेदन पत्रों की जांच/आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने और अनुदान हेतु निर्णय लेने की कार्यविधि**

**ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाले समस्त प्रस्तावों (ऑफलाइन माध्यम द्वारा हार्ड कॉपी) पर निम्नानुसार कार्रवाई करके निर्णय लिए जाएंगे :-**

एक तीन सदस्यीय सहायता अनुदान समिति (जिसमें शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित है) प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की जांच करेगी और उन पर निर्णय लेगी और प्रत्येक मामले में जारी की जाने वाली/जारी नहीं की जाने वाली अनुदान राशि के संबंध में सुझाव देगी।

सहायता अनुदान समिति की संस्तुतियों के आधार पर न्यास के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

तीन सदस्यीय सहायता अनुदान समिति की बैठक का आयोजन वित्तीय वर्ष के दौरान जब कभी भी आवश्यक हो, किया जा सकता है ताकि अनुदान सहायता के किसी भी तत्काल अनुरोध पर विचार किया जा सके।

7. <u>आवेदन पत्र का प्रपत्र</u>

आवेदन पत्र का संशोधित प्रपत्र संलग्न है (अनुलग्नक-I)

8. <u>योजना का विज्ञापन</u>

i. **व्यय बचाने के लिए, एक सांकेतिक विज्ञापन जारी किया जा सकता है और विवरण न्यास की वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं।**

9. <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कार्यविधि</u>

i. **ऑनलाइन आवेदन पत्र, संलग्नकों की स्कैन की हुई प्रतिलिपियों सहित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वेबसाइट <u>www.nbtindia.gov.in</u>. पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट संलग्नकों सहित निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जाएगा :-**

निदेशक
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-II
वसंत कुंज,
नई दिल्ली-110070
दूरभाष : 011-26707700 फैक्स : 011-26121883

ii. प्रत्येक आवेदन पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचनाओं का समावेश भी हो :

क. संगठन के उद्देश्य एवं गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

ख. क्या संगठन किसी अन्य संगठन के साथ पंजीकृत या संबद्ध है? यदि संगठन संबद्ध है, तो आवेदन पत्र संबद्ध करने वाले निकाय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा

ग. पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि

घ. उपविधि की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि

ङ. गैर सरकारी संगठन दर्पण, नीति आयोग के साथ यूनिक आईडी की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि

च. प्रबंधन मंडल की संरचना

छ. परियोजनाओं के विवरणों सहित गत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें

ज. संगठन के गत तीन वित्तीय वर्षों के अंकेक्षित लेखों की प्रतिलिपि।

झ. गत तीन वर्षों की आयकर विवरणियों की प्रतिलिपि

ञ. आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए 80 जी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि

ट. आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए 12 ए प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि

ठ. गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन के पत्र-शीर्ष पर इस आशय का वचन-पत्र कि व्यय अनुमानों के एक बार संतोषजनक रूप से अनुमोदित हो जाने के पश्चात अनुदानग्राही संगठन न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना उसमें कोई संशोधन नहीं करेगा।

ड. व्यय अनुमानों के लिए विवरणों सहित पूर्ण औचित्य आवश्यक होंगे।

ढ. संगठन का ₹ 100/- के स्टांप पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत नोटरीकृत किया हुआ इस आशय का वचन-पत्र कि उसे किसी भी राजकीय प्राधिकरण द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और वह किसी प्रकार की मुकदमेबाजी का सामना नहीं कर रहा है और अनुदान का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है।

अनुलग्नक-I

## आवेदन-पत्र

**पुस्तक प्रोन्नयन गतिविधियों से संबद्ध स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को संगोष्ठियों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं/वार्षिक सभाओं, पुस्तक मेलों, साहित्यिक महोत्सवों आदि के आयोजन के लिए सहायता योजना।**

वित्तीय वर्ष ______________ के लिए आवेदन-पत्र

1. गैर सरकारी संगठन का नाम (जैसा नीति आयोग के पोर्टल पर है) :

2. गैर सरकारी संगठन की यूनिक आईडी संख्या (जैसी नीति आयोग के पोर्टल पर पंजीकृत है) :

3. पैन संख्या (**कृपया पैन कार्ड की प्रतिलिपि अपलोड करें**) :

4. संगठन के पंजीकृत कार्यालय का डाक का पता और संपर्क विवरण :

   गाँव/शहर/कस्बा :

   जिला :

   राज्य :

   मोबाइल नंबर :

   दूरभाष :

   ई-मेल का पता :

   फ़ैक्स :

5. संगठन का संक्षिप्त इतिहास, उद्देश्य और गतिविधियां (न्यूनतम 100 से 150 शब्दों में) :

6. क्या संगठन का कार्यालय स्वयं के भवन में स्थित है या किराए के भवन में?

   **(कृपया परिसर के नवीनतम बिजली/दूरभाष के बिल की प्रतिलिपि अपलोड करें)**

7. प्रस्ताव के लिए गैर सरकारी संगठन के अधिकृत व्यक्ति का नाम जो अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों और भविष्य के पत्राचार पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होगा।

   - नाम :
   - पदनाम :
   - पता :

- **कृपया हस्ताक्षर अपलोड करें**
- **कृपया फोटो अपलोड करें**
- **कृपया आईडी प्रूफ (आधार/वोटर कार्ड/पासपोर्ट) अपलोड करें**

8. परियोजना के लिए डिजिटल प्रस्तुति सहित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव :

9. गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण के विवरण **(कृपया पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करें)**
   (भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के अधीन)
   (क) पंजीकरण संख्या
   (ख) पंजीकरण की दिनांक
   (ग) समाप्ति की दिनांक

10. परियोजना की प्रकृति :
    (क) पुस्तक मेला/साहित्य महोत्सव
    (ख) संगोष्ठी
    (ग) वार्षिक सभा
    (घ) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
    - दिनांक
    - स्थान
    - अवधि

    (स्थान एवं अवधि में परिवर्तन के लिए न्यास का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा।)

11. क्या गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन का उसके नाम से सक्रिय बैंक खाता है (हां/नहीं)
    यदि हां तो खाता संख्या :
    नाम :
    बैंक का नाम :
    पता :
    आईएफएससी कूट :
    एमआईसीआर कूट :
    **(कृपया निरस्त किया हुआ चेक अपलोड करें)**

12. संगठन के लक्ष्य और गतिविधियां (गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन के संस्थापन प्रलेख/उपविधि में वह परियोजना समाहित हो जिसके लिए अनुदान मांगा गया है) **(संस्थापन प्रलेख/उपविधि अपलोड करें)**

13. क्या परियोजना व्यय कोई भाग किसी अन्य सरकारी, गैर सरकारी या विदेशी स्रोत द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है या करवाए जाने की संभावना है? यदि हां, तो उसकी मात्रा और एजेंसी के नाम का उल्लेख करें।

14. क्या संगठन को किसी भी समय केंद्र/राज्य सरकार या उसके अधीन किसी संस्थान द्वारा काली सूची में डाला गया है और क्या वह अब भी काली सूची में है? (हां/नहीं)

15. विविध लागत मदों के विस्तृत औचित्यों सहित परियोजना के बजट अनुमान। **(कृपया पृथक् बजट अपलोड करें)**

16. अनुरोध की गई अनुदान राशि (रुपये में ........................................................)

17. संसाधन जुटाने के लिए संगठन की क्षमता (स्रोतों/राशि का उल्लेख करें)

18. गत तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित लेखे **(कृपया अपलोड करें)**

19. गत तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें **(कृपया अपलोड करें)**

20. गत तीन वर्ष की आयकर विवरणियां **(कृपया अपलोड करें)**

- अब तक अपलोड किए गए प्रलेख
  1. संगठन का पेन कार्ड
  2. गैर सरकारी संगठन के पंजीकृत कार्यालय परिसर का बिजली/दूरभाष का बिल
  3. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आईडी प्रूफ
  4. गतिविधि क्षेत्र श्रेणी प्रमाण-पत्र (यदि यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में है)
  5. पंजीकरण प्रमाण-पत्र (भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन)
  6. निरस्त किया हुआ चेक

7. गैर-सरकारी संगठन के संस्थापन प्रलेख/उपविधि

8. परियोजना का पृथक् बजट

9. गत तीन वर्ष के लेखा परीक्षित लेखे

10. गत तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें

11. गत तीन वर्ष की आयकर विवरणियां

नाम एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दूरभाष संख्या :

दिनांक :

स्थान :

(ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने के पश्चात कृपया आवेदन पत्र और संलग्नकों का प्रिंट आउट लें और उसे निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज़-II, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 को भेजें।)